

22/04/2025



स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र  
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305  
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70

ईमेल: [dc@nsez.gov.in](mailto:dc@nsez.gov.in), वेबसाइट: [www.nsez.gov.in](http://www.nsez.gov.in)

दिनांक: 22/04/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लॉट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

**विषय: दिनांक 15/04/2025 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।**

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 15/04/2025 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

  
(किरण मोहन मोहाडीकर)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ

  
उप विकास आयुक्त

## नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 15/04/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 15/04/2025 को दोपहर 12:00 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. सुश्री अंजलि मीना, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नौएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) विनय मलिक, मूल्यांकनकर्ता, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 28/03/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 28/03/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 28/03/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) स्काईपल्स इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में नई इकाई की स्थापना।

सुरेन्द्र मलिक



2.1. आवेदक इकाई के निदेशक श्री सोम दत्त शर्मा और परियोजना निदेशक श्री वादिम लुमिनोव वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने के अधीन, "सैद्धांतिक रूप से" आवेदक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट में विधिवत उल्लिखित इनपुट और तैयार उत्पादों के अद्यतन 8 अंकों के आईटीसीएचएस कोड शामिल हैं। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को स्वीकृति पत्र (LOA) जारी करने के लिए फाइल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया।

### **(3) एक्लैट ऑनार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड - उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि को अभिलेखों में दर्ज करने का निर्णय।**

3.1. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि 14/11/2023 [घरेलू उपभोग के लिए बिल ऑफ एंट्री की तिथि (जोन से जोन ट्रांसफर)] को ध्यान में रखने का निर्णय लिया और तदनुसार उनके स्वीकृति पत्र (LOA) को पांच साल के लिए मान्य किया।

3.2 इसके साथ ही, समिति ने यह जांच करने का निर्देश दिया कि क्या अध्याय 71 के तहत इकाई द्वारा की गई आपूर्ति को मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड, अशिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) लिमिटेड में एक मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) इकाई को अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को 2023-24 के लिए अपना वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) तुरंत जमा करने और वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) जमा करने में इस तरह की देरी से बचने का भी निर्देश दिया, ऐसा न करने पर इकाई के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम (एफटी (डी एंड आर)) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

### **(4) सारा ट्रांस इंडस्ट्रीज- डीटीए में व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री की अनुमति।**

4.1 इकाई के भागीदार श्री जसवीर सिंह ने बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने समिति को बताया कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे प्रशुल्क (टैरिफ) परिवर्तनों ने उनके निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और इस प्रमुख बाजार के साथ व्यापार करने की उनकी क्षमता को कमजोर कर दिया है। परिणामस्वरूप, उनके खरीदारों और एशिया, यूरोप में ओईएम उपकरण निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) को उनके निर्यात शिपमेंट को रोक दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) को आपूर्ति करते हैं, जिससे उनकी राजस्व धाराओं पर काफी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने समिति को आगे बताया कि उन्हें घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) ग्राहकों से कई प्रश्न और आदेश मिल रहे हैं जो विदेशी मुद्रा में भुगतान के खिलाफ अपने उत्पादों को खरीदने के लिए उत्सुक हैं, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के पूर्ण अनुपालन में है।

सुरेंद्र मलिक

4.2 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई द्वारा दिखाई गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, एचएस कोड **4202, 8471** (84713010, 84713090, 84714110, 84714120, 84714190, 84714900, 84715000 को छोड़कर), **8518, 8543** (85434000, 85437091 को छोड़कर), **8544, 9202, 9205, 9206, 9207, 9209** के अंतर्गत व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए फाइल पर विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की मंजूरी के साथ एक बार की मंजूरी दी गई है, जो कि अनुमोदन समिति द्वारा अनुसमर्थन के अधीन है, पत्र दिनांक 15.04.25 के अनुसार विदेशी मुद्रा में भुगतान के विरुद्ध है।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आईटीसीएचएस कोड **4202, 8471** और **8543** के अंतर्गत आने वाले व्यापारिक सामानों को स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी और एचएस कोड **4202, 8471, 8518, 8543, 8544, 9202, 9205, 9206, 9207, 9209** के अंतर्गत आने वाले व्यापारिक सामानों की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री को विदेशी मुद्रा में भुगतान के खिलाफ निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी:-

- i. आयात और निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की आईटीसी एचएस नीति की 'प्रतिबंधित' / 'निषिद्ध' श्रेणी के अंतर्गत आने वाली किसी भी वस्तु को व्यापार के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. इकाई विनिर्माण और व्यापार के संबंध में अलग-अलग एसईजेड नियम, 2006 के नियम 53 के तहत निर्धारित सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) बनाए रखेगी।
- iii. इकाई वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) तुरंत जमा करेगी।

4.4 इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने उपरोक्त अनुच्छेद 4.2 में उल्लिखित व्यापारिक वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए दिनांक 15.04.25 को दी गई एकमुश्त अनुमति की पुष्टि की

**(5) मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे मेसर्स जीडीपीएल कहा जाता है) से खरीदे गए कीमती धातु/हीरे के स्टॉक को जारी करने के लिए मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव और मेसर्स जीडीपीएल को जारी किए गए 28.01.2025 के कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन**

5. 1. मेसर्स ग्लोबल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री संजय श्रीवास्तव ने अनुमोदन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना मामला स्पष्ट किया। उन्होंने समिति को सूचित किया कि उन्हें मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स से आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया है और शेष भुगतान नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क द्वारा वर्तमान में रोके गए हीरे/हीरे के आभूषण स्टॉक के जारी होने के बाद प्राप्त होगा। उन्होंने समिति के समक्ष पुष्टि की कि मेसर्स जीडीपीएल को कोई आपति नहीं है यदि हीरे/हीरे के आभूषण मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा निर्यात के अधीन नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क द्वारा जारी किए जाते हैं।

*सुरेंद्र मलिक*



5.2 श्री रामचंद्र सोनी और श्री मनोज कुमार सोनी, भागीदार भी मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क द्वारा रोके गए अपने हीरे/हीरे के आभूषणों को वापस करने का अनुरोध किया, यह केवल निर्यात के लिए हीरे जड़ित सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से था।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के वाईपी-लीगल तथा मेसर्स सुराना और सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नी (एनएसईजेड द्वारा नियुक्त कानूनी फर्म/कानूनी रिटेनर) की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ थॉमस जॉर्ज द्वारा दी गई कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए उचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। दोनों की राय थी कि मेसर्स जीडीपीएल और मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स के बीच हीरे/कीमती सामग्री के उक्त लेन-देन पर कोई शुल्क देयता नहीं थी, बशर्ते कि उक्त कीमती सामग्री/हीरे का उपयोग मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स द्वारा आभूषणों के निर्माण के लिए किया गया हो/किया गया हो, जिन्हें अंततः निर्यात किया गया हो। तदनुसार अनुमोदन समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी को निर्देश दिया कि वह मेसर्स रॉयल एक्सपोर्ट्स के रोके गए हीरे/आभूषणों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में बेचे बिना एसईजेड/सीमा शुल्क प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विनिर्माण गतिविधियों को करने के बाद ही विदेश में निर्यात के लिए जारी करें।

5.4 इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने मेसर्स जीडीपीएल के प्रतिनिधि को सुनने के बाद, मेसर्स जीडीपीएल को जारी 28.01.25 के एससीएन पर फैसला सुनाया और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम (एफटी (डी एंड आर)) अधिनियम, 1992 की धारा 11 (2) के तहत मेसर्स जीडीपीएल पर एक लाख रुपये का राजकोषीय जुर्माना लगाया। यह अनधिकृत लेनदेन करने और उनके पास उपलब्ध स्टॉक पर प्राप्त छूट को वापस न करने और उन वस्तुओं को किसी अन्य एसईजेड इकाई को बेचने के लिए था, जबकि जीडीपीएल का स्वीकृति पत्र (LOA) पहले ही रद्द कर दिया गया था। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 के वैधानिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन था। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को मेसर्स जीडीपीएल को तदनुसार निर्णय आदेश जारी का अधिकार दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेन्द्र मलिक

(सुरेन्द्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अबिदिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त